(2)

(22)

प्रेषक,

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव,
प्रबन्ध मण्डल,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, कानपुर-2

सेवा में,

1- श्री एस0एस0 अहमद, – अध्यक्ष
कुलपति,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
कानपुर-2

2- सचिव (वित्त), – सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

3- सचिव (शिक्षा), – सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ

4- सचिव (कृषि), – सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन,
सचिवालय, लखनऊ ।

5- डा0पी0बी0 माथुर, – सदस्य
सहायक महानिदेशक (ए0एस0ई0),
आई0सी0ए0आर0, कृषि अनुसंधान भवन,
पूसा, नई दिल्ली ।

6- डा0 कृषि राम शर्मा, – सदस्य
कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7- डा0 राम जनम सिंह, – सदस्य
निदेशक पशुपालन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- श्री अवध राम सचान, – सदस्य
79, एम0आई0जी0, हेमन्त बिहार,
सेक्टर-3, बरा-2, कानपुर ।

9- श्री अजीत कुमार सिंह, – सदस्य
सदस्य, विधान सभा, कानपुर ।

10- श्री ओ0पी0 नेमानी, – सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, स्वदेशी एग्रोमशीन्स
प्रा0लि0, 79-ए,
उद्योगनगर, कानपुर ।

11- डा0 (श्रीमती) कान्ती देवी – सदस्य
कान्ती कुटीर, 6/32, गांधीनगर,
पुखरायां, कानपुर (देहात) ।

12- श्री हरी प्र बाजपेयी, – सदस्य
सदस्य, विधान परिषद्,
म0नं0-352, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर ।

संख्या: सी0एस0पी0/सी- 649 /बोर्ड-74 दिनांक: जनवरी 22, 1990

महोदय,

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की गत दिनांक 6-1-1990 को कृषि निदेशालय, लखनऊ के समिति कक्ष में सम्पन्न हुयी 74वीं बैठक की कार्यवाही सूचनार्थ प्रेषित है ।

भवदीय,

(एस0पी0 सिन्हा)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की 74वीं बैठक दिनांक 6-1-1990 की कार्यवाही ।

यह बैठक पिछली दो बैठकों दिनांक 27-10-89 एवं 6-11-1989 की स्थगित बैठकों के क्रम में तथा तब से अब तक (दिनांक 6-1-1990) परिचालन द्वारा भेजे गये अनुमोदित मदों की पुष्टि हेतु आहूत हुयी । इनके अतिरिक्त इस बैठक में अति आवश्यक दो मद राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्वीकृत शोध केन्द्रों के अनुमोदन, एवं 1988-89 के वास्तविक व्यय की स्वीकृति, वर्ष 1989-90 का बजट एवं तत्सम्बन्धी कठिनाइयां एवं समस्यायें एवं वर्ष 1990-91 के बजट के आंकलन की रूप रेखा, जिस रूप में शासन को भेजी गयी है, अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये ।

उपस्थिति :

1- श्री शमशाद अहमद - अध्यक्ष
2- श्री अजीत प्रताप सिंह - सदस्य (मदों पर स्वीकृति भेज कर)
3- श्री अवध राम सचान - सदस्य
4- श्री हरीश बाजपेयी - सदस्य
5- डा० (श्रीमती) कान्ति देवी - सदस्य (मदों पर स्वीकृति भेज कर)

बैठक प्रारम्भ करते हुये कुलपति ने सदस्यों को दिनांक 10 नवम्बर, 1989 को छात्रों के सांस्कृतिक आयोजन में पटियाला गये हुये छात्रों एवं स्टाफ सदस्यों के साथ घटित दुर्घटना से अवगत कराया एवं उनके सम्बन्धियों/आश्रितों को प्रदान की गयी राहत का ब्योरा दिया । सदस्यों ने उपरोक्त दुर्घटना पर गहरा दु:ख प्रकट किया एवं परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की । सदस्यों ने यह भी चाहा कि उनकी भावनायें एक शोक प्रस्ताव के रूप में मृतकों के सम्बन्धियों को तुरन्त भेज दी जायें ।

श्री हरीश बाजपेयी का बैठक में पहली बार आने पर सदस्यों ने स्वागत किया ।

मद संख्या-1: राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क जोन में हजरतपुर (फिरोजाबाद) एवं कुलाईं (अलीगढ) तथा बुन्देलखण्ड जोन में बेलाताल (हमीरपुर) एवं मवई बुजुर्ग (बांदा) की शोध के सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन ।

इस मद के सम्बन्ध में सदस्यों को विस्तृत सूचना दी गयी । इस हेतु डा० ए०एस० वारसी, निदेशक, कृषि अनुसंधान भी सदस्यों की जिज्ञासा शांत करने को उपस्थित थे और कुछ बिन्दुओं को सचिव ने एजेन्डा पर कम्पटोलर की टिप्पणी के आधार पर स्पष्ट किया । सदस्यों ने आई०सी०ए०आर०/वर्ल्ड बैंक की शर्तों के अनुरूप स्कीम विश्वविद्यालय में चलाये जाने, इस हेतु उनके निर्धारित एम०ओ०यू० पर कम्पट्रोलर द्वारा हस्ताक्षर करने को सहमति प्रदान की तथा यह संस्तुति की कि शासन भी उसको अनुमोदित करते हुये उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत करें ।

---2

मद संख्या-2: विश्वविद्यालय का वर्ष 1989-90 का आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी मामले एवं भुगतान में कठिनाइयां ।

यह मद पिछली बैठकों में प्रस्तुत बजट सम्बन्धी एजेन्डा नोट के क्रम में था । कम्पट्रोलर ने उन सब तथ्यों से पुनः अवगत कराते हुये इस सम्बन्ध में आज तक की अद्यावधिक स्थिति से सदस्यों को अवगत कराया जो कि प्रस्तुत एजेन्डा नोट में स्पष्ट कर दी गयी थी । उन्होंने यह भी सूचित किया कि 5-4-89 को जब कृषि उत्पादन आयुक्त के कक्ष में वर्ष 1988-89 के व्यय के आंकड़े एवं वर्ष 1989-90 के बजट अनुमान विचार विमर्श के लिये प्रस्तुत किये गये तो उन्होंने जो जांच समिति बजट की जांच के लिये नियत की थी, वहीं प्रबन्ध मण्डल की भी जांच समिति है और अब कि उस जांच समिति की आख्या जो लगभग 10-12 विस्तृत बैठकों के बाद प्राप्त हुयी है, उसे प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जारहा है । कुलपति महोदय ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्त उप समिति के तीन लोग तोउस जांच समिति में थे ही उन्होंने भी रिपोर्ट देख ली है और उससे सहमत हैं । अतः प्रबन्ध मण्डल अब इस पर विचार करने की कृपा करें जिससे बिना और बिलम्ब के अब इसके अनुरूप कार्यवाही की जा सके । इसके बाद सदस्यों को रिपोर्ट के सभी पहलुओं से अवगत कराया गया और विचारोपरान्त जांच समिति की रिपोर्ट, संलग्न टिप्पणी एवं प्रस्तुत एजेन्डा पर सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की और तदनुसार वर्ष 1988-89 के बजट एवं व्यय तथा वर्ष 1989-90 के बजट पर अपनी स्वीकृति प्रदान की । कुलपति को इस हेतु भी अधिकृत किया गया कि जांच कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप शासन से अतिरिक्त धनराशि यथा शीघ्र प्राप्त करें ।

कुलपति महोदय ने यह भी सूचित किया कि वर्ष 1990-91 के बजट के लिये शासन द्वारा अनुमानों की इधर गत माह से बराबर मांग की जाती रही है । इस सम्बन्ध में एक बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त के कक्ष में दिनांक 5 नवम्बर, 1989 को भी हुयी थी पर तब तक वर्ष 1989-90 के बजट की जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी थी । अतः जो अनुमान वर्ष 1990-91 के बनाकर प्रस्तुत किये गये थे, अब उन पर बजट जांच समिति की आख्या के अनुरूप वर्ष 1989-90 के बजट को आधार मान कर उस पर प्रतिशत वृद्धि कर शासन को वर्ष 1990-91 के निम्न अनुमान प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में भेज दिये गये थे । ये अनुमान निम्नवत हैं:-

(रु० लाखों में)

	वेतन एवं भत्ते	यात्रा भत्ता	आकस्मिक व्यय
1- आयोजनेत्तर पक्ष	833.10	13.09	440.29
2- आयोजनागत पक्ष	60.72	1.81	96.36

पूँजीगत एवं विकास आवश्यकतायें - ~~320~~ 318.67

कुलपति महोदय ने यह भी सूचित किया कि वेतन के मद में वर्ष 1989-90 की तुलना में कुछ अधिक वृद्धि इस कारण से होगी क्योंकि इस वर्ष से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1986 में हुई वेतन वृद्धि का कोई भाग अब कृषि अनुसंधान परिषद से नहीं मिलेगा और पूरी की पूरी राशि उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त होनी

---3

होगी । इसके अतिरिक्त सभी कर्मचारियों को पी०आर०सी० वेतन एवं उसके एरियर भी भुगतान करने होंगे ।

इसी प्रकार आकस्मिक व्यय में वृद्धि मंहगाई के कारण तो होगी ही, प्रयास यह भी किया गया है कि अब आगे से हमारे दोनों प्रांगण प्रंतनगर आदि विश्व-विद्यालयों के अनुरूप अपनी आवश्यकता अनुसार धनराशि पा कर विश्वविद्यालय जैसे स्वरूप को प्राप्त कर सके जो गत वर्षों में कम धनराशि के कारण काफी पिछड़ सा गया है ।

इसके अतिरिक्त पूँजीगत एवं विकास मदों के हेतु एवं सातवीं योजना में अन्य बाहँय योजनाओं से Diverted धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु भी बजट जांच समिति की अनुसंशा के अनुसार धन की मांग की जा रही है । सदस्यों ने विचार विमर्श के बाद शासन को प्रेषित उक्त 1990-91 के अनुमानों पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की । शासन से इस हेतु अनुदान राशि निर्धारित हो जाने पर उक्त सूचना बजट जांच समिति की अनुसंशा के अनुसार पुन: प्रबन्ध मण्डल को सूचित किया जाना भी तय पाया गया ।

कुलपति की अनुमति से सचिव ने प्रबन्ध मण्डल को पूरे वर्ष धनाभाव की स्थिति, कम आकस्मिक व्ययों हेतु धनराशि के कारण भुगतानों की कठिनाइयों एवं कम धनराशि की अनुदान किस्तों के कारण वेतन आदि के भी अक्सर विलम्ब से और एरियर के भुगतान में हो रही देरी की समस्याओं से भी अवगत कराया और पिछली बैठकों हेतु इस सम्बन्ध में दिये गये विवरण की ओर पुन: ध्यान आकर्षित किया । ऐसी ही वर्तमान समस्या से भी प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराते हुये कम्पट्रोलर एवं सचिव ने बताया कि इस समय कृषि अनुसंधान परिषद से भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बढ़ाई दरों के वेतनमानों की शेष राशि नहीं अवमुक्त की जा रही है और शासन से भी इस हेतु न उनका अंशदान प्राप्त हुआ है और न बढ़ी दरों पर वांछित यू०पी०एफ० की धनराशि ही अवमुक्त हुयी है और त्रैमासिक अनुदान की भी कम दरों से ही किस्तें मिल रही हैं । ऐसे में जहां अन्य कठिनाइयां हैं ही, अध्यापकोंके धैर्य की सीमा कि उनको 1 जनवरी, 1986 से बढ़े वेतनमानों की बकाया राशि नहीं दी जा पा रही है, भी समाप्त हो उठी है । वे कुलपति से तो निरन्तर मांग कर ही रहे हैं, अक्सर वे कम्पट्रोलर एवं उसके कार्यालय पर आक्रोश करते हैं । कम्पट्रोलर ने स्पष्ट किया कि धनाभाव की दशा में कम्पट्रोलर और उसका कार्यालय भुगतान कर सकने में अक्सर अपने का असमर्थ पाता है और हमेशा ही कर्मचारी उसे एवं उसके कार्यालय को बुरा भला कहते और दोषारोपण करते हैं । लगभग सदैव ही ऐसा कुछ होता रहता है और तनाव, घबराहट, भय में कोई भी रचनात्मक कार्य कर पाने का माहौल ही नहीं रहता, जब कि इस पर कम्पट्रोलर और उसके कार्यालय का न कोई वश है, व उन्हें कुछ करना है । सदस्यों ने सारी स्थिति को गंभीरता से सुना और कुलपति को निर्देशित किया कि वे शासन से एवं कृषि अनुसंधान परिषद से धनराशि शीघ्र मुक्त कराये जाने एवं कम्पट्रोलर कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें । सदस्यों ने कर्मचारियों एवं अध्यापकों द्वारा कम्पट्रोलर एवं उसके कार्यालय पर आक्रोश करने या उन्हें बुरा भला कहने पर भी खेद प्रकट किया ।

यह भी निर्णय लिया गया कि कुलपति एक "ग्रीवान्सेज कमेटी" का गठन करें जिसमें स्टेचुटरी अधिकारियों में से कुछ (रजिस्ट्रार, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, 2 अधिष्ठाता, कृषि संकाय आदि) तथा प्रबन्ध मण्डल के दो तीन सदस्य हों ।

---4

यह कमेटी कुलपति की अध्यक्षता में कार्य करेगी और इस कमेटी की बैठक हर माह में एक बार हो और ये कर्मचारियों/अध्यापकों आदि की कठिनाइयों को सुने । इस हेतु कर्मचारी अपनी कठिनाइयां स्पष्ट लिख कर बैठक की तिथि से काफी पहले प्रस्तुत करें और उस पर सम्बन्धित विभागों एवं उनके अधिकारी अपनी स्थिति की स्पष्ट टिप्पणी दें । यह दोनों प्रपत्र ग्रीवान्सेज कमेटी की बैठक में प्रस्तुत किये जायं और उन पर उसका सुझाव प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में रखा जाय । तब तक सम्बन्धित कर्मचारी किसी प्रकार का प्रदर्शन, भुगतान पाने हेतु आदेश जल्दबाजी में न करायें और किसी प्रकर का ऐसा व्यवहार न होने दे जो विश्वविद्यालय की गरिमा के विपरीत हों । किसी भी कार्यालय एवं उसके कर्मचारियों से रोष का कोई कारण ही नहीं है । विशेष कर कम्पट्रोलर कार्यालय से जहां केवल सही जांच के बाद साधन होने पर ही भुगतान संभव है ।

मद संख्या-3 : Proposal to provide time scale in place of fixed pay as already exist in the Statutes Chapter XX Section 12(4) (a) of the Act.

इस मद पर परिचालन द्वारा 7 सदस्यों की स्वीकृति पहले ही प्राप्त हो चुकी है । यह तथ्य सदस्यों के संज्ञान में लाया गया । इस पर उपस्थित सदस्यों ने भी अपनी सहमति देते हुये इसकी पुष्टि भी की और प्रस्ताव निम्न स्वरूप में पास किया ।

Resolved that para one of Clause (a) of Chapter XX of the Statutes framed under the U.P. Krishi Vishwa Vidyalaya Adhiniyam, 1958 be amended to read as follows:-

"The vice-Chancellor shall be appointed in the manner laid down by the Statutes and, unless otherwise determined by the State Government, by the general or special order in that behalf, shall receive a monthly salary in the scale of Rs.7300-100-7600 as recommended by the UGC/ICAR and approved by the State Government vide its G.O.No.1925(1)/12-8-89-400(236)/87 dated June 27, 1989. He shall also be eligible to receive dearness allowances and other allowances at the rates admissible from time to time to the officers of the State Government, getting same pay.City Compensatory Allowance or any other allowance shall not be admissible to the Vice-Chancellor.

Resolved, further, that suitable action be taken to obtain Chancellor's approval for this amendment."

Comp. & Reg.

मद संख्या-4: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अर्थ नियन्त्रक कार्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश संख्या-1863/ तारह-8-89-400(195)/88 दिनांक 15-9-89 द्वारा सूचित पदों के सृजन एवं भरे जाने के अनुमोदन का प्रस्ताव ।

Comp.

इस पद पर सदस्यों द्वारा परिचालन से भेजे गये प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी । उपस्थित सदस्यों को कुलपति ने इस हेतु की गयी

----5

कार्यवाही से अवगत कराया । यह भी सदस्यों को सूचित किया गया कि श्री के0एन0 अग्रवाल ‡जो अब राजकीय सेवा से सेवा निवृत्त हो गये हैं, को तो पहले से ही विश्वविद्यालय द्वारा मांगा गया था और जब उन्हें लिया ही जाना है, इसी के साथ एक अन्य वित्त विभाग के अनुभवी अधिकारी भी सेवा निवृत्ति के बाद उपलब्ध हैं जिन्हें वर्तमान में कार्यरत अधिकारी न मिलने पर लिया जा सकेगा । इसी के क्रम में यदि वित्त विभाग से लेखाधिकारी न प्राप्त हुये तो इन अधिकारियों को राजकीय निगमों आदि से भी मांगा जा सकता है और एक लेखाकार के पद के समक्ष एजेन्डा के अनुरूप एक कर्मचारी विश्वविद्यालय से प्रबन्ध मण्डल के कार्यों हेतु पदास्थित किया गया है जिसे इन पदों के न रहने पर भविष्य में समायोजित कर कार्य लिया जायेगा । सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति एवं कृत कार्यवाही पर पुष्टि प्रदान की और यह भी चाहा कि क्योंकि विश्वविद्यालय ने ही इन पदों पर शासनादेश के अनुरूप अधिकारी कर्मचारी रखने का प्रस्ताव किया था, अतः अब आवश्यकतानुसार जो भी परिवर्तन है, वे सब शासन को भी सूचित कर दिया जाय ।

मद संख्या-5: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर को वर्ष 1989-90 में आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 127.50 लाख तथा आयोजनागत पक्ष में रु0 13.85 लाख की राशि माह अक्टूबर, 1989 से दिसम्बर, 1989 के लिये लेखानुदान के रूप में व्यय करने हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव ।

Comp-

इस मद पर भी अपनी सहमति प्रदान करते हुये सदस्यों ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की । इस सम्बन्ध में सदस्यों ने यह भी चाहा कि भविष्य में कुछ ऐसा प्रबन्ध कर लिया जाय कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक हर दूसरे माह अवश्य हो जाया करे । यह तय पाया गया कि जिस माहों में बैठक होना तय हो उसका तीसरा सप्ताह इस हेतु नियत कर लिया जाय । मदों की संख्या सीमित रखी जाय तथा काफी समय से एजेन्डा और तीसरे सप्ताह में निर्धारित तिथि सूचित कर दी जाया करे । सदस्यों को एक मोटा अनुदान तीसरे सप्ताह का होगा ही, अतः निर्धारित तिथि पर बैठक में आना अधिक सुविधाजनक होगा ।

मद संख्या-6: विश्वविद्यालय के बाह्य एजेन्सियों द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजनाओं को लागू करने हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव ।

सदस्यों को सूचित किया गया कि इस मद पर भी पांच सदस्यों की सहमति परिचालन द्वारा पहले ही प्राप्त हो गयी है । उपस्थित सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की और उसकी पुष्टि भी की ।

DR & Home Science P.P.

श्री बाजपेयी ने यह भी इच्छा प्रकट की कि सीतापुर जिले में भी विश्वविद्यालय का कोई शोध केन्द्र यदि स्थापित किया जा सकता हो तो इस पर भी विचार कर लिया जाय । यह शोध केन्द्र प्रसार के कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हो सकता है ।

श्री सचान ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया कि कुलपति इस पर भी विचार करें कि प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों में जो भी इच्छुक हो उन्हें अवसर दिया जाय कि कृषि शोध के सम्बन्ध में विभिन्न केन्द्रों/प्रक्षेत्रों में हो रहे कार्य की जानकारी हेतु दौरा कर सकें। कुलपति ने आश्वासन दिया कि वे इस प्रकार के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और इसमें सभी योगदान और सुविधायें प्रदान करने को तत्पर हैं और करते भी रहे हैं।

अध्यक्ष को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ बैठक स्थगित हुयी।

अनुमोदित

2-3/8/74

(एस0एस0 अहमद)
कुलपति
एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

(एस0 पी0 सिन्हा)
अर्थ नियन्त्रक
एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल